


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt No...2/2589
III-6-4/10

Jabalpur, dated 4./06/2023

Copy of Notification No. 2471/21-B(1)/2023, dated 25.05.2023 in respect of appointment of Special Judge u/s 22(1) of the NIA Act, 2008 at District Alirajpur is forwarded to :-

01. The Principal District & Sessions Judges,
.....
02. The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur /
Indore / Gwalior;
03. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh;
Bench at Indore/Gwalior;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(Vl.)(J-1) (J-II) High
Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of
Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter
before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar (Judl)/ Registrar
(I & V)/ Registrar (Examination)/ Registrar (I. L.R.)
/Registrar(DE) High court of Madhya Pradesh
Jabalpur;
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State
Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur;
09. Registrar Confdl./ Admn. Officer (Checker / W.S./
Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;


(VIKAS CHANDRA MISHRA)
REGISTRAR (Admn.)



मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25/5/2023

फा.क्रमांक 2471/21-ब(एक)/2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
" 45.	अलीराजपुर	श्री रामलाल शाक्य, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर ।"

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No.2471/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"45.	Alirajpur	Shri Ramlal Shakya, 1 st District and Additional Sessions Judge, Alirajpur."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के. द्विवेदी)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग


भोपाल, दिनांक 25/05/2023

26

पु.क्र० 2471/21-ब(एक)/2023,

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक A/2381 दिनांक 10.05.2023 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



(राघवेन्द्र भारद्वाज)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग